अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री शहाबुद्दीन खान	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
27.10.2025	रामलाल बनाम शारदा वगैरह (2025/466) पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत निवेदन किया कि विद्वान सहायक कलक्टर मु0 अजमेर ने गैर कानूनी रूप से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने का आदेश पारित कर दिया तत्पश्चात अप्रार्थीगण की तामीली पूर्ण होकर जवाब पेश किये जाने के बाद भी प्रार्थीगण के पक्ष में किसी प्रकार का न्यायोचित आदेश प्रदान नहीं किया जा रहा है जिसकी आड में अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान करने, कब्जे में हस्तक्षेप करने, तोडफोड आदि करने एवं अपीलांटस के शांति पूर्वक उपयोग में बाधा उत्पन्न करने पर आमादा है। वर्तमान में करीब दो माह से विद्वान सहायक कलक्टर मु0 अजमेर के न्यायालय का कार्य बहिष्कार होने से उनके समक्ष प्रार्थीगण के प्रकरण में किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो पा रही है जिससे प्रार्थीगण न्याय विहिन हो गये है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 14.09.2025 को दी गयी विधिक सलाह अनुसार उक्त अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है ताकि प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त हो सकें। ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुतीकरण में हुई उक्त सदभाविक देरी को न्यायहित में क्षमा कर अपील दी गयी कानूनी सलाह से अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है ताकि प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त हो सकें। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को जानकारी से अन्दर मियाद शुमार कर अपील को दी गयी विधिक जानकारी से अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील को अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कथन संतोषजनक एवं सद्भाविक प्रतीत होते है तथा प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दु पर नहीं किया जाकर मेरिट पर किया जाना उचित समझते है। अतः **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।** तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र स्थगन तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट/ प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज कर अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात प्रकरण में नियत तारीख पेशी प्रदान की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है जिसका अंतिम निरतारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना है। अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

रामलाल बनाम शारदा वगैरह

466/2025/225

लगातार...

निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है।

अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय अजमेर
अपील टी.ए.संख्या 461/2025 जिला अजमेर

2025/466

1. रामलाल पुत्र स्व0 बलदेव
2. रघुनाथ पुत्र स्व0 बलदेव
3. रंगलाल पुत्र स्व0 बलदेव

समस्त जाति गुर्जर, निवासी कायड़, तहसील व जिला अजमेर।

—— अपीलांट्स

बनाम्

466/2025
21/3/25

1. शारदा पुत्री स्व0 बलदेव
2. कानी पुत्री स्व0 बलदेव
3. मंगला पुत्र स्व0 बलदेव
4. शिवराज पुत्र स्व0 बलदेव
5. शिवपाल पुत्र स्व0 काना पुत्र स्व0 बलदेव
6. विमला पुत्री स्व0 काना पुत्र स्व0 बलदेव

समस्त जाति गुर्जर, निवासी कायड़, तहसील व जिला अजमेर।

7. अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर जरिये प्राधिकृत अधिकारी।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय अजमेर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान सहायक कलक्टर (मु0) महोदय, अजमेर दिनांक 24.2.2025 जो प्रकरण संख्या 21/2025 में पारित किया गया।

मानयवर,

अपीलांट्स की ओर से निम्न निवेदन हैः—

Scanned with CamScanner